सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 354/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–04.12.2025

GCMS ID-2025/504

बउनवान

1. गोपाली बाई आयु 55 वर्ष पत्नि उदा जाति माली निवासी सिंघाड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– स्वयं प्रार्थीया।
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 28/01/2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 133 की भूमि ख.सं. 652 रकबा 0.1862 हैक्टेयर चाके ग्राम सिंघाडी पटवार हल्का सहसपुरिया तहसील हिण्डोली मे विस्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गोपली बाई पत्नि उदा दर्ज हो रहा है। प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया का सही नाम गोपाली बाई है एवं प्रार्थीया के पति का नाम उदा लाल है. परन्तु रजिस्ट्री में प्रार्थीया का नाम गोपाली बाई के स्थान पर गोपली बाई दर्ज हो गया एवं नामान्तरण खोलते समय प्रार्थीया का नाम गोपली बाई इन्द्राज कर दिया गया जबकी प्रार्थीया का सही नाम गोपाली बाई है। इसलिये हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया इन्द्राज अवैध व निरस्तरनीय है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेज, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेनकार्ड, जॉबकार्ड, अन्य जमाबन्दी आदि में प्रार्थीया का नाम गोपाली/गोपाली बाई दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गोपली दर्ज कर दिये जाने की वजह

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

से प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभभी नहीं ले पा रही है। प्रार्थीया का नाम गोपाली बाई पत्नि उदा है। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीया ने पटवारी हल्का के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपना नाम गोपली बाई के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर गोपाली बाई करवाये। उपरोक्त भूमि वाके ग्राम सिंघाडी पटवार मण्डल सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 133 की भूमि ख.सं. 652 रकबा 0.1862 हैक्टेयर वाके ग्राम सिंघाडी पटवार हल्का सहसपुरिया तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थीया का नाम गोपली बाई के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर गोपाली बाई दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृ पा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली की जॉच रिपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडा कैम्प सहसपुरिया दिनांक 01.07.2025 में प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक ग्राम सिंघाडी प0म0 सहसपुरिया के खाता संख्या 133 में प्रार्थीया का नाम गोपलीबाई पत्नी उदा खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों व अन्य खातों के सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज गोपलीबाई पत्नी उदा व गोपाली बाई पत्नी उदा एक ही महिला के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज गोपली बाई पत्नी उदा के स्थान पर प्रार्थीया का शुद्ध नाम गोपाली बाई पत्नी उदा दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हमने प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया की बहस सुनी। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम गोपाली बाई पत्नी उदा है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एंव तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी, मनरेगा जॉब कॉर्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थीया का सही नाम गोपाली बाई पत्नी उदा है। प्रकरण में जॉच रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम सिंघाडी प0मं0 सहसपुरिया के खाता संख्या 133 में दर्ज प्रार्थीया के नाम गोपली बाई पत्नी उदा के स्थान पर गोपाली बाई पत्नी उदा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–28.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446